

मनरेगाकर्मों काम पर लौटें, तो मांगों पर विचार रांची. ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि मनरेगा कर्मों हड़ताल से वापस लौट जायें, अभी महामारी का समय है, ऐसे में वे साथ दें और काम करें, मंत्री ने कहा कि पहले भी उनसे हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की गयी थी, काम पर लौटने पर ही उनकी मांगों पर विचार किया जायेगा, इधर विभागीय सचिव आराधना पटनायक ने हड़ताल के मुद्दे को लेकर सारे डीडीसी एवं बीडीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, इस दौरान निर्देश दिया कि हर हाल में मजदूरों को काम मिले, रोजगार ना घटे, सचिव ने विरसा हरित ग्राम योजना के तहत समय से वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया.

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
HMTF Admn. Building, P.O. Dhurwa, Ranchi-834004 (Jharkhand)

OPEN TENDER NOTICE

Tender No. and Date	Description	Last Date of submission of Tender	Date of Opening
1 HTP/PUR/172773/LC125HD/9423/AS/20-018, Dated: 29.07.2020	Drive & PLC Package	29.08.20 at 01:00 PM	29.08.20 at 03:00 PM

For more details please visit our website www.hectid.com. SDGM I/c (MM) Ph.No. 0651-2401402

NEO BUILDS MACHINES THAT BUILD THE NATION

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

क्षेत्रीय कार्यालय, मीर्या लोक कम्प्लेक्स, डाकघरला रोड, पटना-800001
फोन: 0612 - 2225421, 2220760, फैक्स: 0612 - 2226491
स. सी.बन्धु.सी./आर.सी.बन्धु/व्यापार/एच.ए.सी.डी./बनारसी/13/2020-21 तिथि: 31.07.2020

निविदा आमंत्रण (ई-टेंडरिंग)

सेन्ट्रल वेयर हाउस, समस्तीपुर में खाद्यान्न एवं संबद्ध सामग्रियों के इन्वॉलन एवं परिचालन कार्य हेतु इच्छुक निविदाकर्ताओं से दो बिड सिस्टम के तहत ठेके हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। समस्तीपुर के टेन्डर फार्म की बिक्री दिनांक 03.08.2020 को सुबह 10:00 बजे से दिनांक 31.08.2020 को 23:59 बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। विस्तृत जानकारी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के वेबसाइट www.cewacor.nic.in एवं www.cwceprocure.com पर देखें। यह www.tenderhome.com पर भी देखा जा सकता है।

क्षेत्रीय प्रबंधक

कार्यालय, कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला

निविदा स्थगन

इस कार्यालय के E-Tender No. DISTRICT UNTIED FUND /MID/Gumla-F2-06 / 2020-20 Construction of P.C.C. Road at Chainpur Kurumgarh Road to Darkana Under Block Chainpur, District-Gumla जिसका प्रकाशन दिनांक 28.07.2020 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, जिसका पीओ आरओ सं० 231223 (ल० सिं०) 2020-21 डी० है। अपरिहार्य कारण से अगले आदेश तक के लिए से स्थगित की जाती है।

कार्यपालक अभियन्ता लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला

PR 231360 Minor Irrigation (20-21)_D लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला

कार्यालय: जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा निविदा आमंत्रण सूचना सं०-03 वर्ष 2020-21

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

एतद् द्वारा फ्राई कैचिंग जाल/नेट के आपूर्तिकर्ताओं/निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020-21 में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के राज्यादेश सं० 05 दिनांक 16.07.2020 के द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत निर्बंधित मत्स्य बीज उत्पादकों को फ्राई कैचिंग नेट की आपूर्ति किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ इच्छुक जाल आपूर्तिकर्ताओं से जाल आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 06.08.2020 के अपराह्न 02:00 बजे तक निविदा जिला मत्स्य कार्यालय, सिमडेगा में स्वीकार किया जायेगा एवं उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे तक निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा आमंत्रण हेतु आवश्यक शर्तें www.simdega.nic.in एवं जिला मत्स्य कार्यालय, सिमडेगा के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा।

PR.NO.231318 Fish(20-21):D

कार्यालय, जिला मत्स्य पदाधिकारी, लातेहार

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण संख्या- 1 / 2020-21

वित्तीय वर्ष 2020-21 की योजना- तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अन्तर्गत निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रांची का राज्यादेश सं० 05 रा (विभाग) दिनांक 16.07.2020 द्वारा लातेहार जिला के लिए प्रस्तावित लक्ष्य कुल 260 प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों एवं अन्य विभागीय कार्य हेतु मत्स्य स्पॉन आपूर्ति की जानी है जिसके क्रय करने हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 10.08.2020 को 5.00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। दिनांक 11.08.2020 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में उपायुक्त लातेहार द्वारा गठित समिति के समक्ष उप विकास आयुक्त, लातेहार के कार्यालय कक्ष में निविदा खोली जाएगी। विस्तृत जानकारी/निविदा की शर्तें लातेहार जिला के वेब साइट www.latehar.nic.in पर एवं जिला मत्स्य कार्यालय, लातेहार के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।

जिला मत्स्य पदाधिकारी लातेहार।

PR 231342 Fish(20-21):D

कार्यालय, जिला मत्स्य पदाधिकारी, लातेहार

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण 1 / 2020-21

वित्तीय वर्ष 2020-21 की योजना- तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अन्तर्गत निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रांची का राज्यादेश सं० 05 दिनांक 16.07.2020 द्वारा लातेहार जिला के लिए प्रस्तावित लक्ष्य कुल 260 प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य बीज की निकासी एवं बिक्री हेतु जाल के लिए उसके क्रय करने हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 10.08.2020 को 5.00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। दिनांक 11.08.2020 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में उपायुक्त लातेहार द्वारा गठित समिति के समक्ष उप विकास आयुक्त, लातेहार के कार्यालय कक्ष में निविदा खोली जाएगी। विस्तृत जानकारी/निविदा की शर्तें वेब साइट www.latehar.nic.in पर एवं जिला मत्स्य कार्यालय, लातेहार के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

जिला मत्स्य पदाधिकारी, लातेहार।

PR.NO.231344 Fish(20-21):D

कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची (जिला नजारात शाखा)

बन्दोबस्ती सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.09.2020 से 31.08.2021 तक के लिए समाहरणालय कार्यालय ब्लॉक 'ए' एवं 'बी' के ग्राउण्ड दो फ्लोर्स पर वाहन पड़ाव की बंदोबस्ती की जानी है। यह बंदोबस्ती समाहरणालय के ब्लॉक 'ए' के द्वितीय तल पर अवस्थित सभा कक्ष (रूम नं. 207) में खुली डाक के माध्यम से दिनांक 17.08.20 को 01.00 बजे अपराह्न में की जानगी। बन्दोबस्ती अधिकतम बोली गई डाक के आधार पर होगी। इस बन्दोबस्ती में निर्धारित संस्था/समितियों/प्रतिष्ठान एवं अर्थात् छवि वाले व्यक्ति भाग ले सकते हैं। वाहन पड़ाव की निविदा की न्यूनतम राशि एवं अग्रधन की राशि की विवरणी निम्नवत है:-

क्रमांक	पड़ाव का नाम	निविदा की न्यूनतम राशि दिनांक 01.09.20 से 31.08.21 तक	अग्रधन की राशि
1.	समाहरणालय बिल्डिंग 'ए' एवं 'बी' का अन्धर ग्राउण्ड पार्किंग स्थल	12,70,000.00	50,000.00

1. बन्दोबस्ती में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपना आवेदन डाक की निर्धारित तिथि 17.08.20 के अपराह्न 12.00 बजे तक जिला नजारात शाखा (कमरा संख्या 302, ब्लॉक 'A') में जमा कर सकते हैं।
2. आवेदन के साथ अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त रांची के पदनाम से निर्गत हो एवं चल अचल सम्पत्ति की विवरणी तथा आवेदन के थाने स्तर से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र दाखिल करनी होगी। साथ ही अस्फल निविदाताओं को अग्रधन की राशि वापस कर दी जाएगी।
3. बन्दोबस्ती के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु समाहरणालय के जिला नजारात शाखा (कमरा संख्या 302, ब्लॉक 'A') से सम्पर्क किया जा सकता है।
4. किसी वाहन को शुल्क भुगतान से विमुक्त करने का अधिकार हर अवस्था में अधोहस्ताक्षरी के पास रहेगा। वाहनों के शुल्क का निर्धारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाएगा।
5. किसी भी अथवा सभी प्रस्ताव को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची।

PR 231322 (Ranchi) 20-21 (D)

सरकारी जमीन की भी क्षतिपूर्ति देगी केंद्र सरकार : कोयला मंत्री

मुख्य संवाददाता ▶ रांची

केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि केंद्र सरकार अब खनन के लिए ली जानेवाली सरकारी जमीन की भी क्षतिपूर्ति संबंधित (कंपनसेशन) राज्य सरकारों को देगी, पहले केवल रैयती जमीन की ही क्षतिपूर्ति मिलती थी, निर्धारित प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित जिलों के उपायुक्त तय करेंगे, केंद्र सरकार ने इसके लिए अपनी नीति बदल दी है, इसी के तहत झारखंड सरकार को कुल 298 करोड़ रुपये दिये गये हैं, इसमें से 250 करोड़ रुपये का चेक गुरुवार को कोयला मंत्री ने राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा व राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद श्री जोशी ने वरुंचल प्रेस वार्ता की, मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए सीएमपीडीआई में व्यवस्था की गयी थी, मंत्री खुद एयरपोर्ट से मीडिया कर्मियों से थोड़ी देर के लिए जुड़े, श्री जोशी ने बताया कि पहले केवल रैयती की जमीन लेने पर ही सरकार पुनर्वास नीति के तहत क्षतिपूर्ति देती थी, अब

कॉमर्शियल माइनिंग पर दूर होगी राज्य सरकार की शिकायत



हेमंत सोरेन को चेक सौंपते कोयला मंत्री और साथ में हैं अर्जुन मुंडा व अन्य.

नीति में बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी यह सुविधा देने पर सहमत हुई है, उन्होंने बताया कि 90 दिनों के अंदर केंद्र सरकार रॉयल्टी का भुगतान कर देगी, श्री जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री के सामने कॉमर्शियल माइनिंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, इसमें केंद्र ने उनको आश्वासन दिया है कि इस मामले में राज्य सरकार के जो भी गिवांस हैं, उस पर केंद्र गंभीरता से विचार करेगा, उनसे देशहित में कॉमर्शियल माइनिंग में सहयोग करने का आग्रह किया गया है, अगर राज्य सरकार को लग रहा है कि कॉमर्शियल माइनिंग से राज्य के हित का नुकसान होगा, तो इस पर केंद्र हर संभव सहयोग करेगी, **रोजगार प्रशिक्षण की व्यवस्था हो :** सांसद संजय सेठ ने प्रल्हाद जोशी से मिल कर कोयला क्षेत्र की समस्या व विकास के मुद्दे पर बात रखी, श्री

कोविड से मरनेवाले कोल कर्मियों को मिलेगा 15 लाख

मंत्री ने घोषणा की कि कोविड-19 के दौरान जो भी कोल कर्मों मरेंगे, उनको कोयला वारियर के रूप में जाना जायेगा, विपरीत परिस्थिति में कोयला कर्मों काम कर रहे हैं, इस कारण उनकी मृत्यु पर परिजनों को 15 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जायेंगे, अभी केवल माइनिंग में दुर्घटना होने की स्थिति में ही कर्मियों के परिजनों को यह राशि मिलती है.

सेठ ने कोयला क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का आग्रह किया, सांसद ने कहा कि रांची लोकसभा एक बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, यहां के जनहित को ध्यान में रखते हुए सीसीएल के सीएसआर व अन्य मदों से कई महत्वपूर्ण कार्य किये जा सकते हैं, इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है, कार्य क्षेत्र डकरा में विद्यालय भवन बना हुआ है.

झारखंड को हर साल मिलेंगे 3200 करोड़

मुख्य संवाददाता ▶ रांची

केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रांची दौर के दौरान सीसीएल, बीसीसीएल और इसीएल की समीक्षा की, बैठक के दौरान कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और तय लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया, श्री जोशी ने कहा कि व्यावसायिक कोयला खनन से आने वाले वर्षों में झारखंड में विकास का नया दौर शुरू होगा, व्यावसायिक कोयला खनन के लिए झारखंड की नौ कोयला खदानें आवंटन हेतु प्रस्तावित की गयी हैं, इससे राज्य को

अगले चार वर्षों में 18,889 करोड़ राजस्व : मंत्री ने कहा कि व्यावसायिक कोयला खनन शुरू होने से सालाना लगभग 30,000 करोड़ रुपये की बचत होगी, वहीं तीन लाख से अधिक कामगारों को रोजगार देने में भी मदद मिलेगी, इसीएल, बीसीसीएल एवं सीसीएल अगले चार साल में लगभग 742 मिलियन टन कोयले का खनन करेगी, इससे राज्य सरकार को लगभग 18,889 करोड़ रुपये राजस्व मिलेगा.

प्रतिवर्ष 3,200 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा व 50,000 से अधिक रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मिनेरल फाउंडेशन मद में भी प्रति वर्ष 17 करोड़ मिलेंगे, **चिकित्सकों से मिले मंत्री :** कोयला मंत्री सीसीएल गांधीनगर अस्पताल में कोयला मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सकों से मिले, वह अर्जुन मुंडा के साथ अस्पताल गये तथा चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाया, उनके साथ कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, सीसीएल सीएमडी गोपाल सिंह, निदेशक वीके श्रीवास्तव समेत अन्य मौजूद थे.

आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पीपी नियुक्त

रांची. राज्य सरकार ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ दायर आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालयों में लोक अभियोजक (पीपी) की नियुक्त कर दी है, रांची और धनबाद के द्वितीय वरियतम अपर लोक अभियोजक इन मामलों में विशेष लोक अभियोजक की जिम्मेवारी निभायेंगे, गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, अश्विनी कुमार बनाना भारत सरकार के मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई करने का आदेश दिया था.

प्रवीण प्रकाश बने रांची के डीटीओ

रांची. परिवहन विभाग ने रांची सहित कई जिलों में नये डीटीओ को तैनात किया है, रांची में प्रवीण कुमार प्रकाश को डीटीओ बनाया गया है, जबकि रांची के डीटीओ रहे संजोव कुमार को बोकारो का डीटीओ बनाया गया है, इसके अलावा संतोष गर्ग (साहिबगंज), विजय कुमार (हजारीबाग), रोहित सिन्हा (गिरिडीह), अनवर हुसैन (पलामू), विजय विरूवा (गुमला), अजय तिकी (चाईबासा), सुरेंद्र कुमार (सरयकेला), शैलेंद्र राजक (दुमका), संतोष सिंह (लातेहार), भगोरथ प्रसाद (कोडरमा), सौरभ प्रसाद (रामगढ़), कृष्ण कन्हैया राजहंस (लोहरदगा), मनीष कुमार (गढ़वा), ओमप्रकाश यादव (धनबाद) हैं.

विलुंग बने आरडीडी डीडीओ का भी प्रभार

रांची. शिक्षा विभाग ने गुरुवार को राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारियों का स्थानान्तरण-पदस्थापन किया है, पलामू के अरविंद विजय विलुंग को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल रांची का आरडीडी बनाया गया है, साथ ही विलुंग को डीडीओ, रांची का प्रभार भी दिया गया है, वहीं मिथिलेश कुमार सिन्हा को आरडीडी, हजारीबाग बनाया गया है, दुमका के आरडीडी राजकुमार प्रसाद सिंह को अगले आदेश तक डीडीओ गोड्डा के प्रभार में रहेंगे, इसके अलावा शिक्षा सेवा के अन्य कई अधिकारियों का भी स्थानान्तरण किया गया है.

सात कारापाल बदले

रांची. गृह विभाग ने सात कारापाल, पांच सहायक कारापाल और 15 कारा लिपिक का भी तबादला किया है, सूची के अनुसार चंद्रशेखर प्रसाद सुमन खुला जेल (हजारीबाग), मानिक चंद राम केंद्रीय कारा (रांची), अनिमेष कुमार चौधरी गिरिडीह, श्रीकांत जेपी कारा (हजारीबाग), रमाशंकर प्रसाद धनबाद, मो नसीम मधुपुर और मो मुस्तकिम सरायकेला जेल भेजे गये हैं.

इल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंध नहीं: अडुकिया

रांची. इल्लिका इंफ्रा स्ट्रक्चर के पार्टनर आकाश अडुकिया ने प्रभात खबर में प्रकाशित 'गोपाल जी प्रकरण में जांच शुरू, बयान दर्ज' शीर्षक समाचार पर अपना पक्ष पेश किया है, उन्होंने कहा है कि आलोक अडुकिया का इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, इल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर का गोपाल जी तिवारी या इनके पुत्र से किसी तरह का लेन-देन या व्यापारिक संबंध नहीं है, उन्होंने इसकी जानकारी निगरानी के डीजी को भेज दी है.

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले रेल डीजी रांची.

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से गुरुवार को रेल महानिदेशक वीएच देशमुख ने राजभवन आकर मुलाकात की, यह उनकी शिफ्टाचार भेंट थी, मौके पर राज्यपाल ने उन्हें प्रतीक चिह्न एवं शाल अंशुदाकर सम्मानित किया, श्री देशमुख 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

In Loving Remembrance

Two years have passed since you passed away this day suddenly in New York, USA. The void is tearful. We believe your soul is resting in peace at the mercy of almighty God. That is our only solace.

Jitu Munda (Husband)
Retd. from Embassy of India, Lima (Peru).
Shailesh Nag (Son)
Rahul Nag (Son)

(Late) Shyama K. Kachhap
(15.09.1957 - 31.07.2017)

Address : House No. 255/C, Kanke Road, Ranchi

एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड
(विद्युत पंपालय, भारत सरकार के पर्यावरण क्षेत्र उद्योगों का एक संयुक्त उद्योग)
एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईएसएसएल) का उद्घाटन
हर्षिया पेद्रोकेमिकल, मुंबई-1, 10 एच, सैक्टर-4, वाट्ट टैक, कोलकाता-700091

सूचना

विधिया सं. ईंईएसएलकोविड2020एनएमईटी/सेक्टर पीपी62रजीए दिनांक: 29.07.2020
कार्य का नाम : भारत के परियोजना, बिहार, झारखंड एवं उत्तर पूर्वी राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम) में सौर पीवी आधारित परियोजनाओं हेतु निर्यात परियोजना रिफंड (डीपीआर) के आवेदन, तैयारी तथा जमा करने के लिए एनर्जि/परामर्शदाताओं का नामांकन।

वस्तावेज जमा करना प्रारंभ होने की तिथि : 03.08.2020 (सोमवार) दोपहर 2:30 बजे
वस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 24.08.2020 (सोमवार) सायं 5:00 बजे

संपर्क ई-मेल : sdutta1@eesl.co.in, टेलीफोन : 033-46022678, वीसीआर/वीओ को सलाह दी जाती है कि ईओआई वस्तावेजों को डाउनलोड करने (03.08.2020 से उपलब्ध होंगे) और आगे की जानकारी/अपडेट प्राप्त करने के लिए वाच-वाच ईंईएसएल की आधिकारिक वेबसाइट (www.eeslindia.org) के डैश बोर्ड पर जाकर देखें तथा ईओआई वस्तावेज में दर्शाए गए अनुसार सभी आवश्यक वस्तावेज जमा करने के लिए ईंईएसएल पूर्वी क्षेत्रीय कन्ट्रोल कार्यालय : हर्षिया पेद्रोकेमिकल, मुंबई-1, 10एच, सैक्टर-4, वाट्ट टैक, कोलकाता-700091 से संपर्क करें।

कर्जा दश भारत का निर्माण करते हुए

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड,
(CIN: U40108JH2013SC001702)
निगम कार्यालय: अभियंत्रण भवन, एव-ईंईसी०, घुर्वा, रांची-834004

सूचना

चुँकि श्री सहदेव प्रसाद राव, सेवानिवृत्त लेखापाल, विद्युत अवर प्रमण्डल, डाल्टेनगंज (शहरी) के विरुद्ध आरोप- पत्र में वर्णित आरोपों के संदर्भ में झारखण्ड पेशन नियमावली के नियम 139 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव उक्त के संदर्भ में श्री देवाशीष महापात्रा, उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), निगम मुख्यालय, रांची को विभागीय कार्यवाही का संचालन-सह-जॉच पदाधिकारी एवं श्री अविनाश सिंह भारती, कार्यालय अधीक्षक, निगम मुख्यालय, रांची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए निगम के कार्यालय आदेश संख्या 443 दिनांक 27.05.2020 के द्वारा आरोप-पत्र में उल्लेखित आरोप के संदर्भ में लिखित बयान 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर समाप्त करने हेतु पत्र उनके गृह पता मलयपुर, पोस्ट + थाना - मलयपुर, जिला- जमुई (बिहार) पर भेजी गई थी, जो वापस लौट आई है।

अतः एतद् द्वारा इस सूचना के माध्यम से उनसे अनुरोध है कि आरोप प्रकोष्ठ, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, निगम मुख्यालय, रांची से आरोप पत्र सहित आदेश की प्रति प्राप्त कर श्री देवाशीष महापात्रा, उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)-सह-संचालन-सह-जॉच पदाधिकारी निगम मुख्यालय, रांची के समक्ष उपस्थित होकर आरोप-पत्र में उल्लेखित आरोप के संदर्भ में अपना लिखित बयान 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर समाप्त करें। यदि उनका जवाब निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि इस संदर्भ में उन्हें कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमानुकूल अग्रतर कार्यवाई की जाएगी।

स्वहित एवं राष्ट्रहित में कर्जा बचावें। कृपया अपनी शिकायतों को 18003456570 (कॉल सेंटर) पर दर्ज करावें।

₹/-
उप महाप्रबंधक (मांसं०)

PR 231352(Jharkhand Bijlee Vitran Nigam Ltd)20-21'D

आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है स्ट्रांग इम्युनिटी

“जौली तुलसी 51” एक प्रमाणित इम्युनिटी वर्धक है

जिसके परिणाम Lab tested है।

कैसे काम करता है Jolly Tulsi 51

इम्युनिटी अगर मजबूत हो तो वायरस बैक्टीरियाँ, फलू, आदि के संक्रमण से बचा जा सकता है। जौली तुलसी 51 ड्रॉप्स पर किये एक लैब टैस्ट (Clinical Trial) में ये साबित हुआ है कि जिन लोगों ने जौली तुलसी 51 का नियमित सेवन किया उनकी इम्युनिटी काफी हद तक बढ़ी है।

पाँच तरह की तुलसीयों से बहुत ही खास विधि द्वारा तैयार अर्क

CLINICALLY TESTED +

जौली तुलसी 51 ड्रॉप्स

बस 5 बूंदें रोज पियें, स्वस्थ निरोगी जियें...

जौली तुलसी 51 ड्रॉप्स की लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए बाजार में मिलते जुलते नाम से अनेको तुलसी ड्रॉप्स आ गये हैं जो ग्राहकों में भ्रम पैदा करते हैं।

याद रहे जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती वैसे ही हर तुलसी ड्रॉप्स “जौली तुलसी 51 ड्रॉप्स” जैसी नहीं होती।

इसलिए स्टोर से तुलसी ड्रॉप्स नहीं जौली तुलसी 51 ड्रॉप्स ही मांगें।

वर्षों पुराना और प्रसिद्ध इम्युनिटी बूस्टर जिसके परिणाम विश्वसनीय और लैब प्रमाणित हैं

Jharkhand: S.S»Ganpati Ayurved Bhawan, Ranchi : 9297781750 0161-520-1523